घरेलू हिंसा

मेरी या किसी और की समस्या?

हिंसा कोई भी, कहीं भी किसी के भी साथ कर सकता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हिंसा घर के बाहर सड़कों पर, रात में अनजान व्यक्तियों के द्वारा होती है। पर इस प्रचलित धारणा के विपरीत अधिकांश अध्ययनों ने यह साबित किया है कि महिलाओं के साथ हिंसा के ज्यादातर मामले घर के अन्दर और अपने ही परिवार के लोगों द्वारा किये जाते हैं।

किसी भी स्वस्थ व मधुर रिश्ते के लिये कुछ बातें आवश्यक हैं जैसे कि समानता, विश्वास और एक दूसरे का आदर। यदि कोई भी दो लोगों के बीच समानता नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई कमी है।

क्या आप अपने आप को अपने वर्तमान रिश्ते में सुरक्षित महसूस करती हैं?

क्या आपको ऐसा लगता है कि :

आपसे ठीक तरह से बात नहीं की जाती?

आपकी भावनाओं का अनादर किया जाता है?

आपके धर्म, आपकी पसंद और इच्छाओं का अपमान किया जाता है?

शारीरिक, मौखिक, यौनिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आप पर अत्याचार किया जाता है?

अक्सर आपको किसी ना किसी बात पर धमकी दी जाती है?

हमेशा आप की शिकायत की जाती है?

आपकी मान्यताओं का मज़ाक उड़ाया जाता है?

आपको अपने माता पिता या दोस्तों से मिलने नहीं दिया जाता है?

घर या बाहर सबके सामने आप का अपमान किया जाता है?

आपकी इच्छा के खिलाफ आपको कुछ ऐसा करने को कहा जाता है जो आप करना नहीं चाहती?

यदि उपरोक्त बातों में से कोई भी बात आपको अपने लिये सच लगती है तो शायद आप घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं।

परंतु यह सब तो हर घर में होता है?

ऐसा अधिकांश घरों में होता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि यह सही है। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं हमने भी हिंसा को अपनी ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा तो नहीं मान लिया है? क्योंकि माँ के साथ ऐसा हुआ है, सब जगह दिखाई देता है, हर घर में होता है इसलिये यह सही ही है। ज़रूरत है फ़र्क देखने की। क्योंकि हर घर में ऐसा होता है इसका मतलब यह सही है, यह ज़रूरी नही!

घरेलू हिंसा किसे कहेंगे?

घरेलू हिंसा किसी एक दिन या एक बार की घटना नहीं है जो किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के साथ ही होती है। घरेलू हिंसा सिर्फ़ एक बार भी हो सकती है और लगातार भी। यह किसी के साथ और कभी भी हो सकती है परंतु कारण एक ही होता है, किसी एक का दूसरे पर अधिकार और दबाव जताना। इस दबाव और अधिकार का प्रदर्शन किसी भी तरह हो सकता है–डराकर, धमकाकर, पीटकर या किसी बात के लिये मजबूर करके।

किस तरह के लोग घरेलू हिंसा का सामना करते है?

घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है। जाति, धर्म, शिक्षा, पेशा, आयु और आर्थिक स्थिति, कोई मायने नहीं रखती। इनका हिंसा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि हिंसा महिला और पुरुष दोनों के साथ हो सकती है पर घरेलू हिंसा के ज़्यादातर मामले महिलाओं के साथ ही पाये गए हैं। सन् 1997 के वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाइज़ेशन के एक अध्ययन के अनुसार 24 देशों में किये गये 40 अध्ययनों में 20 से 52 प्रतिशत इन्टरविउ देने वाली महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपने पुरुष साथी के द्वारा ही शारीरिक हिंसा का सामना किया है (जोकि घरेलू हिंसा का एक रूप है)।

घरेलू हिंसा कौन करता है?

हिंसा करने वाले कि कोई विशेषता नहीं होती और ना ही वे किसी विशेष वर्ग, उम्र या धर्म से सम्बंधित होते हैं। ये अपने ही जीवनसाथी या परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं।

घरेलू हिंसा क्यों होती है?

बहुत लोग इसके पीछे तनाव, नशा या किसी बीमारी का हाथ मानते हैं। पर वास्तव में देखा गया है कि जो लोग घर की महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं वे सड़क पर या अपने दोस्तों के साथ या अपने कार्य स्थल पर अपने साथियों के साथ, वैसा ही व्यवहार नहीं करते क्योंकि वहाँ उनका अधिकार नहीं रहता। घरेलू हिंसा हमेशा जानबूझ कर की जाती है और करने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर उसकी सत्ता चल सकती है।

कारण चाहे कोई भी हो, घरेलू हिंसा को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हुए जब कुछ लोगों से इसके कारणों के बारे में पूछा गया तो निम्नलिखित बातें सामने आयीं:

क.

सभी लोग इस बात को एक परम्परा की तरह स्वीकार करते हैं कि पति अपनी पत्नी को मार सकता है। जैसे कि लोग यह भी मानते हैं कि पत्नी को पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिये। अतः यदि वह उसकी बात नहीं मानती तो उसे पत्नी को मारने का पूरा अधिकार है।

ख.

समाज में महिला और पुरुष के लिये भिन्न – भिन्न भूमिकाओं को लेकर बहुत सारी मिथ्य धारणायें हैं। जैसे कि महिलायें बहुत कोमल होती हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर भी, या पति का स्थान हमेशा ऊँचा होता है अतः पति को अधिकार है पत्नी को सही करने का। घर का खर्च चलाना, परिवार की महिलाओं की सुरक्षा करना इत्यादि पुरुषों की ज़िम्मेदारी है। कई बार हम जानते समझते हुए भी खुद को इस तरह के दायरे में बांधने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वह सभी के लिए स्वीकृत होता है और हमें भी लगता है कि ऐसा ही करना चाहिये।

ग.

समाज की ऐसी ही धाराणाओं का रूप है– शक्ति प्रदर्शन। किसी भी पुरुष से यह अपेक्षित है कि वह शक्तिशाली हो और ज़रूरत पड़ने पर पुरुषत्व दिखाये। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा किसी चीज़ पर कोई काबू नहीं रहता है और बहुत तनाव और गुस्सा भी आता है। ऐसे में हम हर किसी पर अपनी निराशा या कुण्ठा ज़ाहिर नहीं कर सकते ना ही किसी और को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। ऐसे में कई बार हम ऐसे व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। कई बार पुरुषों के लिए यह अपने तनाव को कम करने का ज़रिया बन जाता है और इसमे उन्हें भी लगता है कि कहीं तो उनका नियंत्रण है, अधिकार है।

पर कुछ लोगों को सुधारना होता है?

पर यदि रिश्ते में सभी समान स्तर पर हैं तो फिर कोई किसी एक को डराकर कैसे अपनी बात मनवा सकता है या कुछ भी करवा सकता है? किसी को भी डरा धमका कर मजबूर करना सही बात नहीं है। यह मानव अधिकार और कानून दोनों के खिलाफ़ है।

भारत में अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का सामना करती है तो वह क्या कर सकती है?

हमारे देश में अभी घरेलू हिंसा के लिए कोई कानून नहीं है परंतु धारा 498 ए एक ऐसा कानून है जो दहेज की समस्या के साथ–साथ पति द्वारा पत्नी के साथ की गयी मानसिक प्रताड़ना व क्रूरता को भी संबोधित करती है। अतः कोई महिला यदि अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करती है तो चाहे वह दहेज के लिए हो या बिना दहेज मांग के, वह पुलिस से सहायता की मांग कर सकती है और चाहे तो हिंसा के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत भी कर सकती है। इस कानून में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के क्रूरता की बात कही गयी है।

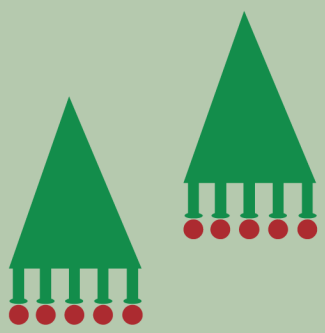

परंतु यह मेरा नहीं किसी और का मामला है?

नहीं, यह हम सबका मामला है। जिस व्यवहार का असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज और समाज की आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता हो, तो वह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता। घरेलू हिंसा किसी महिला का व्यक्तिगत मामला होने के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी प्रभाव डालती है।

किसी भी महिला को एक मानव होने मात्र से मान सम्मान का जन्मजात अधिकार है और किसी को इसका हनन करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन होता है तो हम सभी को उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने का भी हक है।

आज कोई और है, कल आपका कोई अपना भी हो सकता है, या आपके साथ ही कुछ हो सकता है। घरेलू हिंसा किसी एक महिला या पुरुष की समस्या नहीं है बल्कि ऐसी समस्या है जो पूरे परिवार को प्रभावित करती है, इसीलिये यह हर एक की समस्या है और हम सभी को मिलकर इसे समाप्त करने की कोशिश करनी होगी। समानता पर आधारित और स्वस्थ समाज के लिए हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करने की ज़रूरत है।

भारत में घरेलू हिंसा से जुड़ा कानून:–

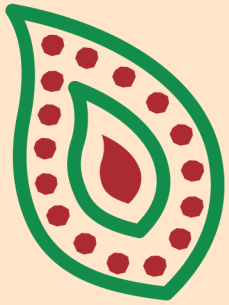

धारा 498 ए– दहेज मांग और क्रूरता से सम्बंधित कानून:
यदि किसी महिला का पति या उसके अन्य रिश्तेदार उसके साथ शारीरिक या मानसिक रूप से क्रूरता करते हैं तो उन्हें तीन साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है।

इस कानून में क्रूरता का मतलब सिर्फ़ मारने या धमकी देने से नहीं है। यदि कोई महिला अपने पति या उसके रिश्तेदारों की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर होती है तो उसके लिये भी सज़ा का प्रावधान है।

घरेलू हिंसा के लिये भारत में एक नया कानून बनाया गया है जिसमें घरेलू हिंसा को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है और यह भी बताया गया है कि कौन कौन से लोग किन किन परिस्थितियों में इस कानून का उपयोग कर सकते हैं। घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिये पारित किये गये इस कानून में घरेलू हिंसा को इस तरह से परिभाषित किया है:–

1. शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को किसी भी तरह का नुकसान, खतरा या चोट; शारीरिक हिंसा सहित, यौनिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा।

2. उत्पीड़न, नुकसान, चोट या हानिपूर्ण व्यवहार या किसी पीड़ित के साथ नियंत्रणपूर्ण व्यवहार या पीड़ित से सम्बंधित किसी व्यक्ति से दहेज, किसी मूल्यवान वस्तु आदि की मांग करना।

दुर्व्यवहार:–

शारीरिक:
ऐसा व्यवहार जो शारीरिक चोट, नुकसान या जीवन या शरीर के लिये खतरा बने।

यौनिक:
ऐसे आचरण जो किसी महिला का अपमान करते हैं या उसकी मर्यादा भंग करें।

मौखिक और संवेदनशील:
- अपमान, मज़ाक उड़ाना, तरह तरह के नामों से बुलाना, विशेषकर बच्चा ना होने के लिए या लड़का ना पैदा करने के लिए।
- शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए बार बार धमकी।

आर्थिक:
- पीड़ितों को पैसे या अन्य आर्थिक संसाधनों से वंचित करना जो कि उसे कानून द्वारा या ऐसे भी मिलने चाहिए जैसे स्त्रीधन।
- घरेलू सामान या, चल या अचल सम्पत्ति, शेयर या सम्पत्ति को बेचना। संसाधनों तक पहुंच पर रोक लगाना या मना करना।

इस कानून में वो लोग भी शामिल हैं जो कभी भी अत्याचार करने वाले के साथ रहे हों या दोनों पार्टी कभी भी साथ रही हों चाहे पति–पत्नी की तरह एक ही घर में या शादी के समान किसी और रिश्ते से जुड़े हों। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो बहन, विधवा, माँ या अविवाहित महिलायें हैं और किसी भी तरह से अत्याचार करनेवाले के साथ रह रही हैं, उन्हें भी इस कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला को एक घर की सुरक्षा देता है। यह महिला को विवाहित घर में रहने या उसी घर के हिस्से में रहने का अधिकार देता है चाहे महिला का उस घर पर नाम से हक हो या ना हो।

आशा की जाती है कि जल्द ही लोगों को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और भारत सरकार व अन्य संस्थाएं इस कानून को जल्द ही कार्यान्वित कर पाएँगी।

CREA

2/14 Shantiniketan, 2nd Floor, New Delhi - 110021, India
Tel: 91-11-2411 4733/2411 7983 Fax: 91-11-2411 3209
E-mail: crea@vsnl.net
Website : www.creaworld.org